न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 09/2020

रोशनलाल पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी नांगल पंडितपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटपूतली ब उनवानी मुकदमा सरकार बनाम रोशनलाल मुकदमा नं. 41/2019 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रैवन्यु एक्ट आदेश दिनांक 18/11/2019 बाबत खसरा नम्बर 789/0.53 है0 किस्म गै.मु. रास्ता वाके ग्राम नांगल पंडितपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 25.3.2021

तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मु.नं. 41/2019 सरकार बनाम रोशन में पारित निर्णय 18/11/2019 बाबत आ.ख.नं. 789/0.53 है. किस्म गै.मु. रास्ता वाके ग्राम नांगल पंडितपुरा तहसील कोटपूतली उक्त पारित निर्णय से व्यथित होकर प्रकरण में निर्णय के विरूद्व अपील अपीलान्ट द्वारा पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि हल्का पटवारी नांगल पंडितपुरा ने तहसीलदार कोटपूतली के यहां एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की हे कि सम्वत 2076 में ग्राम नांगल पंडितपुरा के आ.ख.नं. 789/0.53 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0150 है. भूमि पर रोशन पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी नांगलपुडितपुरा तहसील कोटपूतली ने पत्थर डालकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिस पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए दिनांक 18/11/2019 को उक्त आ.ख.नं. 789/0.53 है0 में से 0.0150 है0 भूमि पर अतिक्रमण घोषित करते हुए बेदखली एवं पैनल्टी के आदेश प्रदान किये है, जिसके विरूद्व यह अपील पेश की है।
2. यह है कि निर्णय दिनांक 18/11/2019 अधिनस्थ न्यायालय विधि विधमान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है एवं निर्णय 18/11/2019 प्रोटेस्ट का निर्णय होने से निरस्तनीय है।
3. यह है कि पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं गया तथा ना ही उसने मौके पर कभी भूमि का नाप–तौल किया ना ही पत्थरगढी की ना ही सीमाज्ञान कराया है ना ही मौके पर गया है, मात्र कयास के आधार पर उसने एक झूठी रिपोर्ट पेश की है।
4. यह है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ना ही कोई निर्माण कार्य किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये गलत रिपोर्ट पेश की है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट मौके के विपरीत है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोइ कब्जा नहीं है ना ही उसने कब्जा किया है, परन्तु प.ह. द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है। ऐसी स्थिति में निर्णय निरस्तनीय है।
5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी के बयानों व उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को कोई सुनवायी का अवसर मौका नहीं

दिया गया, अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय को पटवारी हल्का से प्रति परिक्षण करने का प्रार्थना–पत्र दिया था, परन्तु उक्त प्रार्थना–पत्र पर प0ह0 से जिरह करने की अनुमति प्रदान नही की ना ही उक्त प्रार्थना–पत्र को निस्तारण किया, जो गैर कानूनी व मनमर्जी से उक्त निर्णय 18/11/2019 पारित किया है जो जेर अपील निरस्तनीय है।

7. यह है कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से तथा अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट के प्रावधान व उस पर प्रतिपारित सिद्वान्तों के प्रतिकुल होने से निरस्तनीय है।

8. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 18/11/2019 के बाबत अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी दो दिवस पूर्व पटवारी हल्का मौके पर गया तब उक्त निर्णय 18/11/2019 की जानकारी हुयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल प्राप्त की और बिना देरी किये श्रीमान् न्यायालय के यंहा अपील पेश की है। उक्त अपील जानबूझ कर देरी से पेश नहीं की है बल्कि उक्त कारणों से देरी हुयी है जो काबिले माफी है, फिर भी दौ माफी के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटपूतली ब उनवानी मु.नं. 41/2019 सरकार बनाम रोशनलाल बाबत ख.नं. 789/0.53 है. किस्म गै.मु. रास्ता वाके ग्राम नांगल पंडितपुरा तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 18/11/2019 निरस्त फरमाया जावे तथा अपील मंजूर की जाकर कार्यवाही ड्रोप की जावें।

9. अपीलान्ट द्वारा अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु विधि अनुरूप सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किये गये।

10. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि सम्वत् 2076 में पटवारी हल्का नांगल पंडितपुरा ने ग्राम नांगल पंडितपुरा के आराजी ख.नं. 789/0.53 है0 किस्म गै.मु. रास्ता पर अपीलान्ट द्वारा 0.0150 है0 भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करने की रिपोर्ट झूठी तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गयी, जबकि पटवारी हल्का ना तो मौके पर गया ना ही किसी प्रकार की नाप–जौख मौके पर की गयी। पटवारी हल्का ने कयास के आधार पर उक्त आराजी पर पत्थर डालकर अतिक्रमण की रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्व तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष पेश की है। उक्त झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट/गैर सालय के विरूद्व निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए भौतिक रूप से बेदखली तथा लगान के पचास गुणा पैनल्टी 100/– रूपये शास्ति आरोपित की गयी जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है ना ही रास्ते को अवरूद्व किया है तथा ना ही कोई निर्माण कार्य किया है। यदि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके अपीलान्ट द्वारा हटाने को तैयार है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 18/11/2019 को खारिज फरमावें।

11. पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि पटवारी हल्का नांगल पंडितपुरा की रिपोर्ट से आराजी ख.नं. 789/0.53 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते पर गैर सायल/अपीलान्ट रोशनलाल द्वारा 0.0150 है0 भूमि पर पत्थर डालकर अवैध अतिक्रमण किया जाने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मु.नं. 41/2019 दर्ज कर सरकार बनाम रोशन में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 18/11/2019 को अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। वर्तमान में अपीलान्ट का आज भी अतिक्रमण है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है, जिसे खारिज फरमावें।

12. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रकरण धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण से सम्बन्धित है।

तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मु.नं. 41/2019 सरकार बनाम रोशन में निर्णय पारित कर ग्राम नांगल पंडितपुरा के आराजी ख.नं. 789/0.53 है0 किस्म गै.मु. रास्ते पर 0.0150 है0 भूमि पर नाजायज रूप से पत्थर डालकर अतिक्रमण अपीलान्ट द्वारा किया जाने पर अपीलान्ट को अतकमी घोषित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 18/11/2019 के द्वारा बेदखली के आदेश एवं लगान का पचास गुना 100/- रूपये शारित आरोपित की गयी है, जबकि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि अपीलान्ट द्वारा ना तो रास्ते को अवरूद्व किया है ना ही अतिक्रमण किया है तथा ना ही कोई निर्माण किया है। यदि रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट स्ववयं हटाने को तैयार है । इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार फरमायी जावें तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 18/11/2019 को अपास्त किया जावें।

चूँकि प्रकरण सरकारी भूमि से अतिक्रमण से सम्बन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के तहत् कार्यवाही की जाकर दिनांक 18/11/2019 को निर्णय पारित कर आ.ख.नं. 789/0.53 वाके मौजा नांगल पंडितपुरा से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश एवं पैनल्टी के आदेश पारित किये है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि गैर सायल/अपीलान्ट का आज भी मौके पर अतिक्रमण है त था मौके पर पत्थर पडे है। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत नहीं है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज किया जाना उचित समझते है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मु.नं. 41/2019 सरकार बनाम रोशनलाल बाबत ख.नं. 789/0.53 वाके मौजा नांगलपंडितपुरा तहसील कोटपूतली में पारित निर्णय 18/11/2019 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किया जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 25-3-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)